

शशि कुमार और अन्य

बनाम

कुनाथ चेल्लापन नायर और अन्य

19 अक्टूबर, 2005

[अरिजीत पासायत, न्यायाधीश और सी. के. ठाकर, न्यायाधीश]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908:

धाराएँ 100 (3) और (4)-दूसरी अपील-कानून का सारवान् प्रश्न- दूसरी अपील में नहीं कहा गया है-उच्च न्यायालय की सुनवाई और कानून के किसी भी सारवान् प्रश्न को तैयार किए बिना अपील का निर्णय-अभिनिर्धारित, उच्च न्यायालय का निर्णय संधारणीय नहीं है -मामला उच्च न्यायालय को भेजा गया।

ईश्वर दास जैन बनाम सोहन लाल, (2000- 1 एस. सी. सी. 434); रूप सिंह बनाम राम सिंह, [2000- 3 एस. सी. सी. 708]; कन्हैयालाल बनाम अनूपकुमार, (2003-1 एस. सी. सी. 430) और चडत सिंह बनाम बहादुर राम और अन्य, [2004-6 एस. सी. सी. 359), पर भरोसा किया गया।

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 976/1998

(एस ए सं. 174/1990 में केरल उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांकित 9.12.97 से।)

पी. कृष्णमूर्ति, ए. के. झा और सुश्री वी. मोहना अपीलार्थियों के लिए।

मेसर्स सहाय्य & कंपनी के लिए विष्णु बी सहाय्य प्रतिवादियों के लिए।

अरिजीत पासायत, न्यायाधीश

पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।

यह अपील केरल उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दूसरी अपील सं. 174/90-D में दिए गए निर्णय से संबंधित है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि जी वर्तमान प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा दायर दो अपीलों का एक सामान्य निर्णय दिनांकित 9.12.1997 द्वारा निपटारा किया गया था। दूसरी अपील सं. 174/90 जिससे वर्तमान अपील संबन्धित है, उप-न्यायालय पलक्कड़ के ए.एस. संख्या 42/1986 में पारित निर्णय और डिक्री के खिलाफ निर्देशित है। उसको मुंसिफ़ न्यायालय, पलक्कड़ के ओ. एस. संख्या 118/1970 में पारित निर्णय और डिक्री के खिलाफ दायर किया गया था। दूसरी द्वितीय अपील संख्या 531/1990 मुंसिफ़ न्यायालय पलक्कड़ के ओ. एस. संख्या 126/1977 में निर्णय और डिक्री के खिलाफ दायर अपील में उप-

न्यायाधीश पलक्कड़ द्वारा पारित निर्णय और डिक्री के खिलाफ दायर की गई है।

एक सामान्य निर्णय द्वारा, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उच्च न्यायालय ने दोनों का निपटारा कर दिया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने दूसरी अपील संख्या 531/1990 को खारिज कर दिया, लेकिन दूसरी अपील यानी अपील संख्या 174/1990 में नीचे दिए गए न्यायालयों के निर्णय और डिक्री को रद्द कर दिया। हालांकि अपील के समर्थन में कई बिन्दुओं से आग्रह किया गया था, हम पाते हैं कि मूल मुद्दा जिस पर निर्णय लेने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 100 के संदर्भ में दूसरी अपील का निपटारा उच्च न्यायालय द्वारा कानून के सारवान प्रश्न को तैयार किए बिना किया जा सकता था। इसलिए, तथ्यात्मक पहलुओं पर विस्तार से विचार करना आवश्यक नहीं है।

अपीलार्थियों की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पी. कृष्णमूर्ति ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय संहिता की धारा 100 द्वारा अधिदेशित कानून के सारवान प्रश्न या प्रश्नों को तैयार किए बिना दूसरी अपील का निपटारा करने में न्यायसंगत नहीं था।

प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान वकील ने निवेदन किया कि हालांकि उच्च न्यायालय ने कानून के प्रश्नों को तैयार नहीं किया है, जैसा कि

आवश्यक है, फिर भी, साक्ष्य का विश्लेषण करने पर, यह निष्कर्ष निकाला कि नीचे दी गई अदालतों द्वारा व्यक्त किया गया विचार कानून में मान्य नहीं था।

संहिता की धारा 100 'दूसरी अपील' से संबंधित है। उसका प्रावधान इस प्रकार है:

"100 (1) इस संहिता के मुख्य भाग में या उस समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए प्रावधान को छोड़कर, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी भी न्यायालय द्वारा अपील में पारित प्रत्येक डिक्री के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी, यदि उच्च न्यायालय संतुष्ट हो जाता है कि मामले में कानून का एक सारवान प्रश्न शामिल है।

(2) इस धारा के तहत एकतरफा पारित अपीलीय डिक्री के खिलाफ अपील की जा सकती है।

(3) इस धारा के तहत अपील में, अपील का ज्ञापन इस अपील में शामिल कानून के एक सारवान प्रश्न को सटीक तौर पर व्यक्त करेगा।

(4) जहां उच्च न्यायालय संतुष्ट हो जाता है कि किसी भी मामले में कानून का एक सारवान प्रश्न शामिल है, तो वह उस प्रश्न को तैयार करेगा।

(5) इस प्रकार बनाए गए प्रश्न पर अपील की सुनवाई की जाएगी और

प्रत्यर्थी को, अपील की सुनवाई में, बहस करने की अनुमति दी जाएगी कि मामले में ऐसा प्रश्न शामिल नहीं है: बशर्ते कि इस उप-धारा की कोई भी बात न्यायालय की सुनवाई करने की शक्ति को वहाँ सीमित या समाप्त नहीं करेगी, दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, जहां कानून के किसी अन्य सारवान प्रश्न पर अपील हो, जो उसके द्वारा तैयार नहीं किया गया है, अगर वह संतुष्ट है कि मामले में ऐसा प्रश्न शामिल है ।

उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित फैसले का अवलोकन यह नहीं दर्शाता है कि कानून का कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किया गया है या उस प्रश्न पर दूसरी अपील की सुनवाई की गई थी, यदि कोई तैयार किया गया हो। ऐसा होने पर, निर्णय को बनाए नहीं रखा जा सकता है।

ईश्वर दास जैन बनाम सोहन लाल में, (2000-1 एससीसी 434) में, इस न्यायालय ने पैरा 10 ने इस प्रकार कहा है:

"10. अब सी. पी. सी. की धारा 100 के तहत, 1976 के संशोधन के बाद, उच्च न्यायालय के लिए कानून के सारवान प्रश्न को तैयार करना आवश्यक है और ऐसा किए

बिना पहले अपीलिय अदालत के फैसले को उलटने की अनुमति नहीं है।"

फिर भी रूप सिंह बनाम राम सिंह, [2000-3 एस. सी. सी. 708) में इस न्यायालय ने व्यक्त किया है कि उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र कानून के सारवान प्रश्न से जुड़ी अपीलों तक ही सीमित है:

"7. यह दोहराया जाना चाहिए कि सी. पी. सी. की धारा 100 के तहत दूसरी अपील पर विचार करने के लिए उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र केवल ऐसी अपीलों तक ही सीमित है जिसमें कानून का एक सारवान प्रश्न शामिल है और यह उच्च न्यायालय को सी. पी. सी. की धारा 100 के तहत अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए केवल तथ्य के प्रश्नों में हस्तक्षेप करने के लिए कोई अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करता है। इसके अलावा मामले के निपटारे के समय, उच्च न्यायालय ने दूसरी अपील को स्वीकार करने के समय अपने द्वारा तैयार किए गए कानून के प्रश्न पर भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि आक्षेपित निर्णय में इसका कोई संदर्भ नहीं है। आगे, तथ्य खोजने वाली अदालतों ने साक्ष्य पर विचार करने के बाद कहा कि प्रतिवादी ने एक बटाई के रूप में परिसर के कब्जे में प्रवेश किया, अर्थात्, एक किरायेदार के रूप में और ऐसा कोई

अभिवचन या सबूत नहीं था कि कब यह प्रतिकूल हो गया। नीचे की दो अदालतों द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष, साक्ष्य और अभिलेख पर उपलब्ध तत्वों के उचित मूल्यांकन पर आधारित थे और उनमें कोई विकृति, अवैधता या अनियमितता नहीं थी।

यदि प्रतिवादी को वाद भूमि का कब्जा पट्टे के रूप में या बटाई समझौते के तहत मिला है तो अनुज्ञेय कब्जे से ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा यह उसको स्थापित करना है कि वास्तविक मालिक की जानकारी के प्रतिकूल विद्वेषपूर्ण शत्रुता और कब्जा दर्शाये।

केवल लंबे समय तक कब्जे से अनुज्ञेय कब्जा प्रतिकूल कब्जे में परिवर्तित नहीं हो जाता है। ठाकुर किशन सिंह बनाम अरविंद कुमार, (1994-6 एस. सी. सी. 591). इसलिए उच्च न्यायालय को नीचे के दोनों न्यायालयों द्वारा दर्ज तथ्य के निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।"

इस स्थिति को कन्हैयालाल बनाम अनुपकुमार (2003-1 एस. सी. सी. 430) में दोहराया गया है। चडत सिंह बनाम बहादुर राम और अन्य, [2004-6 एस. सी. सी. 359),

"6. संहिता की धारा 100 को ध्यान में रखते हुए, अपील के ज्ञापन में धारा 100 की उप धारा (3) के तहत आवश्यक सारवान प्रश्न या अपील में शामिल प्रश्नों का सटीक उल्लेख किया जाएगा। जहाँ उच्च न्यायालय संतुष्ट हो जाता है कि किसी भी मामले में कानून का सारवान प्रश्न शामिल है, यह उस प्रश्न को उप-धारा (4) के तहत तैयार करेगा और दूसरी अपील को इस तरह से तैयार किए गए प्रश्न पर सुना जाना है, जैसा कि धारा 100 की उप-धारा (5) में कहा गया है।"

इन परिस्थितियों में, आक्षेपित निर्णय को रद्द किया जाता है। जहां तक 1990 की दूसरी अपील संख्या 174 का संबंध है, हम मामले को विधि अनुसार निपटान के लिए उच्च न्यायालय को भेज रहे हैं। बिना किसी हर्जे खर्चे के उपरोक्त शर्तों पर अपील का निपटान किया जाता है।

चूंकि मामला लंबे समय से लंबित है, इसलिए हम उच्च न्यायालय से अपील का जल्द से जल्द निपटान करने का अनुरोध करते हैं।

आर. पी.

अपील का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।